

फर्द अहकाम

कार्यालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थी:—गणेश

विपक्षी:— सरकार

किस्म मुकदमा:—वाद

पत्रावली संख्या:—65 / 19

सन:— 2019

क्रमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सूचनाएं जारी की गई
	<p>दिनांक 18.12.19</p> <p>पत्रावली पेश हुई। वादी एवं वादी अधिवक्ता अनुपस्थित। प्रतिवादी अधिवक्ता उपस्थित हुआ। न्यायालय समय में न्यायालय द्वारा रूक रूक कर तीन बार आवाज लगवाई गई। किन्तु वादी एवं वादी अधिवक्ता उपस्थित नहीं हुए। जिससे जाहीर होता है कि वादी अपने वाद के प्रति गंभीर नहीं हैं। अथवा यह मुकदमा अब नहीं चलाना चाहते हैं।</p> <p>अतः वादी का वाद अदम हाजरी एवं अदम पैरवी में खारीज किया जाता है।</p> <p>प्रकरण फैसल शुमार होकर बाद कित्ता शुमारी दाखिल दफ्तर हो।</p> <p style="text-align: center;">डा० मंजु (आइ.ए.एस.) सहायक कलक्टर (फा०ट्रे०) गिर्वा – उदयपुर</p>	

